विनोद एस. भारद्वाज, जे. के समक्ष
मेसर्स जैप इंटीरियर्स अपने मालिक के माध्यम से

- अपीलकर्ता

बनाम

मैसर्स आई.एस. इस्पात निर्माण अपने मालिक के माध्यम से

- प्रतिवादी

2022 का सीआरआर नंबर 640

25 अप्रैल 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- एस.एस. 82, 397, 482- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881- एस.147- कार्यवाही का चरण- उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन के चरण में अपराध को कम करने की मांग की गई। एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्तियों को किसी भी स्तर पर लागू किया जा सकता है - अदालतों को शक्ति का प्रयोग करने में उदार होना चाहिए - अपराध को कम किया जाना चाहिए - याचिका की अनुमति दी गई।

माना गया कि अपील के साथ-साथ पुनरीक्षण के स्तर पर परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत समझौता करने का मुद्दा इस अदालत के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी आया है और उन्होंने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्तियों को कार्यवाही के किसी भी चरण में लागू किया जा सकता है यानी परीक्षण, अपील या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के चरण में और अदालतों को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में उदार होना चाहिए।

(पैरा न0 3)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित जैन।

प्रतिवादी की ओर से विवेक गोयल, अधिवक्ता

विनोद एस. भारद्वाज, जे. (मौखिक)

सीआरएम-14492-2022

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 को रिकॉर्ड पर रखने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत तत्काल आवेदन दायर किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को फैसले की तारीख पर भगोडा व्यक्ति घोषित किया गया था। निचली अपीलीय अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील में निर्णय।

प्रार्थना के अनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है और दिनांक 26.10.2021 के आदेश को रिकॉर्ड में लिया जाता है।

सीआरआर-640-2022

(1) तत्काल पुनरीक्षण याचिका में उठाई गई चुनौती अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा पारित दिनांक 26.10.2021 के आक्षेपित फैसले को लेकर है, जिसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुरूग्राम द्वारा पारित आपराधिक शिकायत संख्या 1485 दिनांक 16.05.2015/21.05.2015 (CIS No. NACT 2328 of 2015) याचिकाकर्ता के दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 25.07.2017 और 27.07.2017 क्रमशः के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा पारित दिनांक

26.10.2021 के आदेश को भी चुनौती दी गई थी, जिसके तहत जो याचिकाकर्ता को उक्त तिथि पर उपस्थित न होने के कारण उद्घोषित व्यक्ति घोषित किया गया था।

(2) मुख्य पुनरीक्षण याचिका के साथ, याचिकाकर्ता ने 2022 की आपराधिक विविध संख्या 12851 भी दायर की थी, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 147 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अपराध को कम करने की मांग की गई थी। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता-प्रतिवादी के बीच मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, जिसके बाद एक डिमांड ड्राफ्ट संख्या 417751 दिनांक 14.03.2022 की राशि 3,85,000/- रुपये और एक डिमांड ड्राफ्ट संख्या 417752 दिनांक 16.03. 2022 की राशि 11,000/- रु. पंजाब नेशनल बैंक, पालम विहार, गुड़गांव पर निकाले गए रुपये प्रतिवादी को सौंप दिए गए थे। उक्त विवाद को तदनुसार दर्ज किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दावे की वैधता और वास्तविकता निर्धारित करने के लिए पार्टियों को इलाक़ा मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुरुग्राम से मेमो नंबर 138 (ए) दिनांक 12.04.2022 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो इस प्रकार है:

> "(i) नायब कोर्ट कांस्टेबल करण सिंह, बेल्ट नंबर 2585/जीजीएम ने कहा कि वर्तमान मामले में आईपीसी की धारा 174 ए के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने जेएमआईसी और एसएचओ पीएस शिवाजी नगर, गुरुग्राम की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।
>
> क. श्री सुभाष चंद, अहलमद ने बताया कि वर्तमान मामले में किसी भी आरोपी को उद्घोषित व्यक्ति घोषित नहीं किया गया है। दिनांक 25.07.2017 के फैसले के तहत आरोपी को दोषी ठहराया गया था और आदेश के खिलाफ दायर अपील श्री फलित शर्मा, एलडी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुरूग्राम ने दिनांक 26.10.2021 के निर्णय अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थी।
>
> ख. दोषी आदर्श मेनी पुत्र स्वर्णजीत मेनी को दिनांक 21.02.2022 के गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में एचसी अनिल कुमार, पीएस बेघेरा द्वारा हिरासत में पेश किया गया। दोषसिद्धि वारंट तैयार किया गया और आरोपी को दिनांक 27.07.2017 के आदेश के तहत दी गई सजा भुगतने के लिए जिला जेल, भोंडसी, गुरुग्राम भेज दिया गया।
>
> ग. यह प्रस्तुत किया गया है कि मैं संतुष्ट हूं कि मामला शिकायतकर्ता सलीम खान, मेसर्स आई.एस. के मालिक स्टील फैब्रिकेशन और दोषी आदर्श मेनी के बीच बिना किसी दबाव या दबाव के सौहार्दपूर्ण/स्वेच्छा से सुलझ गया है और समझौता रिकॉर्ड के अनुसार वास्तविक प्रतीत होता है।
>
> घ. दोनों पक्षों के बीच मामले में समझौता हो गया है।

(3) अपील के साथ-साथ पुनरीक्षण के स्तर पर परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत समझौता करने का मुद्दा इस अदालत के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी आया है और उन्होंने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्तियों को बरकरार रखते हुए कार्यवाही के किसी भी चरण में लागू किया जा सकता है यानी परीक्षण, अपील या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के चरण में और अदालतों को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में उदार होना चाहिए।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के.एम. इब्राहिम बनाम के.पी. मोहम्मद और अन्य, के मामले में 2009 की आपराधिक अपील संख्या 2281 में पारित, 02.12.2009 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया: -

> "5. अपीलकर्ता की ओर से पेश होते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि चूंकि अपराध को कम करने के लिए धारा 147 के तहत परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत कार्यवाही के पक्षकारों को एक विशिष्ट शक्ति दी गई है, इसलिए

इसका कोई कारण नहीं है कि दोषसिद्धि के बाद भी इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय तक की जा चुकी है। यह आग्रह किया गया कि विवादों के निपटारे की सुविधा के लिए, विधायिका ने 2002 के अधिनियम 55 में संशोधन करके धारा 147 को शामिल करना उचित समझा। ऐसा संशोधन 6 फरवरी, 2003 से लागू हुआ, और प्रदान किया गया कि आपराधिक संहिता प्रक्रिया, 1973 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध समझौता योग्य होगा।

6. श्री रोहतगी ने आग्रह किया कि गैर-अप्रत्याशित खंड के मद्देनजर, धारा 147 के प्रावधानों को संहिता पर एक अधिभावी प्रभाव दिया गया था और अधिनियम के तहत अपराध को कम करने के लिए पार्टियों को दिए गए स्पष्ट आदेश के मद्देनजर, संदर्भ धारा 320 सी.आर.पी.सी. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 के दायरे को समझने के लिए केवल तुलना के उद्देश्य से किया जा सकता है।

7. श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि उक्त स्थिति को इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में स्वीकार किया गया है, जैसे कि ओ.पी. ढोलकिया बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में। [(2000) 1 एससीसी 762], जिसमें यह माना गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लिया था और शिकायतकर्ता वकील के माध्यम से पेश हुआ था और कहा था कि पूरा पैसा उसे प्राप्त हो गया था और उसे कोई आपत्ति नहीं थी कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत पहले से ही दर्ज दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया है, माननीय न्यायाधीशों ने मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, अपराध को कम करने की अनुमति देना उचित समझा। ऐसा करते समय, इस न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि और सजा अनिवार्य रूप से रद्द कर दी गई है।

8. निम्न केस के मामले में उक्त दृष्टिकोण का लगातार पालन किया गया है

(1) अनिल कुमार हरितवाल एवं अन्य बनाम अलका गुप्ता एवं अन्य। [(2004) 4 एससीसी 366];

(2) बी.सी. शेषाद्रि बनाम बी.एन. सूर्यनारायण राव [2004 (11) एससीसी 510] का फैसला तीन जजों की बेंच ने किया;

(3) जी. शिवराजन बनाम लिटिल फ्लावर कुरीज़ एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य। [(2004) 11 एससीसी 400];

(4) किशोर कुमार बनाम जे.के. कॉर्पोरेशन लिमिटेड [(2004) 13 एससीसी 494];

(5) शैलेश श्याम पारसेकर बनाम बबन [(2005) 4 एससीसी 162];

(6) के. ज्ञानसागर बनाम गणेश गुप्ता एवं अन्य। [(2005) 7 एससीसी 54];

(7) के.जे.बी.एल. रामा रेड्डी बनाम अन्नपूर्णा सीड्स एवं अन्य। [(2005) 10 एससीसी 632];

(8) सईद इशाक मेनन बनाम अंसारी नसीर अहमद [(2005) 12 एससीसी 140];

(9) विनय देवन्ना नायक बनाम रैयत सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड [(2008) 2 एससीसी 305], जिसमें पहले के कुछ निर्णयों पर ध्यान दिया गया है; और

(10)सुधीर कुमार बनाम मनक्कंडी एम.के. कुन्हीरामन और अन्य। [2008 (1) केएलजे 203], जो केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का निर्णय था, जिसमें भी इस मुद्दे पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है।

9. इन सभी निर्णयों में सुनहरा सूत्र यह है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 के तहत मामले को सुलझाने की अनुमति दी जाती है, तो उक्त अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए। विनय देवन्ना नायक (सुप्रा) के मामले में, यह मुद्दा उठाया गया था और सीआरपीसी की धारा 320 के प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने माना कि चूंकि मामले में पार्टियों के बीच समझौता हो गया था और भुगतान पूरा कर दिया गया था और बैंक की बकाया राशि के अंतिम निपटान के बाद, अपील स्वीकार की जाने योग्य थी और अपीलकर्ता बरी होने का हकदार था। नतीजतन, सभी अदालतों द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी कर दिया गया।

10. सीआरपीसी की धारा 320 का उद्देश्य, जो शब्द के सख्त अर्थ में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होता है, कार्यवाही के पक्षों को तालिका में उल्लिखित अपराधों को सुलझाने का अवसर देता है। उक्त धारा, न्यायालय की अनुमति के साथ या उसके बिना, और न्यायालय को इस तरह के समझौते की अनुमति देने का अधिकार क्षेत्र भी प्रदान करती है। उप-धारा (8) के आधार पर, विधायिका ने अपराध के आरोपी/दोषी को बरी करने के लिए न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है और उसे शमन की अनुमति दी गई है।

11. चूँकि, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धारा 147 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में संशोधन द्वारा शामिल किया गया है, धारा 320(8) में व्यक्त विधानमंडल की मंशा के अनुरूप एक सादृश्य बनाया जा सकता है। सीआरपीसी, हालांकि, उपरोक्त अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्यवाही के संशोधित खंड में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

12. उपरोक्त के अलावा, इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सीआरपीसी की धारा 320 की उप-धारा (8) के अनुरूप उचित आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 147 के तहत एक आवेदन में, ताकि पार्टियों को न्याय मिल सके।

13. जहां तक 1881 अधिनियम की धारा 147 में शामिल गैर-अस्थिर खंड का सवाल है, 1881 अधिनियम एक विशेष क़ानून है, धारा 147 के प्रावधान अपराधों के शमन से संबंधित संहिता के प्रावधानों पर अत्यधिक प्रभाव डालेंगे। . इस मुद्दे पर श्री रोहतगी द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णय उपरोक्त स्थिति से जुड़ते नहीं हैं।

14. यह सच है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 के तहत अपीलीय फोरम के समक्ष कार्यवाही समाप्त होने के बाद पार्टियों द्वारा आवेदन किया गया था। हालाँकि, उपरोक्त अधिनियम की धारा 147 पार्टियों को कार्यवाही के अपीलीय चरण में भी धारा 138 के तहत अपराध का समझौता करने से नहीं रोकती है। तदनुसार, हमें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत

कार्यवाही में भी उपरोक्त अधिनियम की धारा 147 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

(5) कोचीन होटल्स कंपनी (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम कैराली ग्रेनाइट्स और अन्य और के. सुब्रमण्यम बनाम आर. राजाथी के मामले में पीएओपी कलिप्पन द्वारा प्रस्तुत फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें माना गया था कि याचिकाकर्ता ऐसा कर सकता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 के संदर्भ में एक कंपाउंडिंग तंत्र का सहारा लें क्योंकि चेक के अनादरण से संबंधित अपराध में एक प्रतिपूरक प्रोफ़ाइल है और इसे संचयी तंत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह अपराध लगभग एक नागरिक गलती है जिसे आपराधिक रूप दिया गया है, इसलिए, क्षतिपूर्ति तंत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(6) दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच.3 और कौशल्या देवी मसंद बनाम रूपकिशोर खोरे4 के मामले में भी यह माना गया था कि प्रश्न में समझौता निश्चित रूप से पार्टियों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। और उनके पक्ष में एक स्थायी उपकरण के रूप में काम करेगा।ऐसा अभ्यास परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 147 की भावना के अनुरूप होगा।

(7) 2021 के सीआरएम-एम-9497 में पारित रामफल बनाम हरियाणा राज्य और 2021 के सीआरएम-एम-4549 में पारित भोमा राम बनाम हरियाणा राज्य के मामले में भी 10.02.2022 को निर्णय लिया गया, इस न्यायालय ने निम्नानुसार पाया कि:

> "12. सीआरएम-एम- 43813-2018 में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 29.01.2019 को "बलदेव चंद बंसल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य" शीर्षक से फैसला सुनाया है: -
>
> "इस याचिका में प्रार्थना है कि पुलिस स्टेशन सेक्टर-5, पंचकुला में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 64 दिनांक 15.02.2017 और उसके बाद होने वाली अन्य सभी कार्यवाही के साथ-साथ आदेश दिनांक 24.10.2016 को रद्द कर दिया जाए। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किया गया जिसके तहत उपरोक्त एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया था।
>
> XXX XXX XXX
>
> याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय द्वारा "विकास शर्मा बनाम गुरप्रीत सिंह कोहली और अन्य (सुप्रा), 2017, (3) एल.ए.आर.584, माइक्रोक्वल टेक्नो लिमिटेड और अन्य बनाम" हरियाणा राज्य और अन्य, 2015 (32) आरसीआर (सीआरएल) 790 और "रजनीश खन्ना बनाम हरियाणा राज्य और अन्य'' 2017(3) एल.ए.आर. 555 में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है जिसमें एक समान परिस्थिति में, इस न्यायालय ने माना है कि चूंकि अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर मुख्य याचिका पार्टियों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते के मद्देनजर वापस ले ली गई है, इसलिए, आईपीसी की धारा 174ए के तहत कार्यवाही जारी रखना और कुछ नहीं होगा बल्कि क़ानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
>
> XXX XXX XXX

उसी के मद्देनजर, मैं वर्तमान याचिका में योग्यता पाता हूं और तदनुसार, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पंचकुला द्वारा पारित दिनांक 24.10.2016 का आदेश और साथ ही एफआईआर संख्या 64 दिनांक 15.02.2017 जो पुलिस स्टेशन सेक्टर-5, पंचकुला में भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत दर्ज किया गया है। और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है।''

13. उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि इसी तरह के एक मामले में जहां याचिकाकर्ता को भगोडा घोषित करते हुए अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही में पारित आदेश के मद्देनजर आईपीसी की धारा 174-ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करने के बाद, एक समन्वय पीठ ने पाया कि एक बार जब अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य याचिका पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते के मद्देनजर वापस ले ली जाती है, तो धारा 174-ए आईपीसी के तहत कार्यवाही जारी रखना क़ानून की प्रक्रिया का एक दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है। उक्त पहलू याचिका को स्वीकार करने और उसमें याचिकाकर्ता को भगोडा व्यक्ति घोषित करने के साथ-साथ आईपीसी की धारा 174-ए के तहत एफआईआर को रद्द करने के आदेश को रद्द करने के लिए मुख्य विचार में से एक था।

14. इस न्यायालय की एक अन्य समन्वय पीठ ने 2020(4) आरसीआर (आपराधिक) 87 के रूप में रिपोर्ट किए गए "अशोक मदन बनाम हरियाणा राज्य और अन्य" नामक मामले में भी निम्नानुसार निर्णय लिया है: -

“इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि आईपीसी की धारा 174ए के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मुख्य मामले से स्वतंत्र है, इसलिए, केवल इसलिए कि मुख्य मामला अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया है, वर्तमान याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती है, हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान एफआईआर केवल मुख्य मामले में कार्यवाही से अनुपस्थिति के कारण दर्ज की गई थी जिसे बाद में अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए नियमित कर दिया था, डिफ़ॉल्ट माफ़ कर दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में धारा 174ए आई.पी.सी. के तहत कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.

7. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला फ़रीदाबाद में दर्ज की गई,एफआईआर नंबर 446 दिनांक 21.08.2017, धारा 174ए आईपीसी के साथ ही परिणामी कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी।

15. उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण के अवलोकन से पता चलेगा कि जहां मुख्य मामला अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था, वहां यह देखा गया कि आईपीसी की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

16. वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है, एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत समझौता होने पर वापस ले लिया गया है। ऐसी स्थिति में, आईपीसी की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

(8) यह बलदेव चंद बंसल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2018 के सीआरएम-एम-43813 में 29.01.2019 को पारित मामले में भी आयोजित किया गया था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है:

याचिकाकर्ता के वकील ने विकास शर्मा बनाम गुरप्रीत सिंह कोहली और अन्य (सुप्रा), 2017, (3) एल.ए.आर.584, माइक्रोक्वल टेक्नो लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2015 (32) आरसीआर (सीआरएल) 790 और "रजनीश खन्ना बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य" 2017(3) एल.ए.आर. 555 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है। जिसमें एक समान परिस्थिति में, इस न्यायालय ने माना है कि चूंकि अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर मुख्य याचिका पार्टियों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते के मद्देनजर वापस ले ली गई है, इसलिए, आईपीसी की धारा 174ए के तहत कार्यवाही जारी रखना और कुछ नहीं होगा बल्कि क़ानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।.

पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और विकास शर्मा (सुप्रा) मामले में पारित फैसले के मद्देनजर, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत से समझौता कर लिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को पूरी चेक राशि का भुगतान कर दिया है और बाद में इसे 09.09.2017 को वापस ले लिया गया, मुझे वर्तमान याचिका में योग्यता मिलती है क्योंकि याचिकाकर्ता ने 24.10.2016 को विवादित आदेश पारित होने की तारीख पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित न होने का एक वास्तविक कारण भी दिखाया है।

(9) यह रजनीश खन्ना बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य के मामले में भी आयोजित किया गया था और 2017 के सीआरएम-एम-3813 में पारित निर्णय 26.10.2017 को दिया गया था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है:

> "4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि अन्यथा भी, मामले में पार्टियों के बीच समझौता हो गया है और प्रतिवादी नंबर 2- शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एनआईए अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत वापस ले ली है। उनका कहना है कि इन परिस्थितियों में, दिनांक 05.09.2016 के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ संबंधित एफआईआर के साथ-साथ बाद की सभी कार्यवाहियां रद्द की जाने योग्य हैं। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2017 के सीआरएम संख्या एम-32465 में विकास शर्मा बनाम गुरप्रीत सिंह कोहली और अन्य शीर्षक से पारित दिनांक 13.09.2017 के आदेश पर भरोसा किया है।
>
> 7. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित न होना इस कारण से उचित है कि उसे दिए गए पते पर सेवा नहीं दी गई थी। इसके अलावा, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांक 05.09.2016 को आक्षेपित आदेश पारित करने के बाद, याचिकाकर्ता को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला द्वारा दिनांक 02.01.2017 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, विशेष रूप से जब मामले में पार्टियों और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच समझौता हो गया है - शिकायतकर्ता ने एनआईए अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत वापस ले ली है, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 174-ए के तहत आपराधिक कार्यवाही जारी रखना क़ानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

(10) ऊपर देखे गए कानून में प्रावधान के मद्देनजर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 147 के दायरे के साथ-साथ धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है। जहां मुख्य विवाद का निपटारा पहले ही हो चुका है, वहां इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता का मामला उक्त पूर्ववर्ती निर्णयों में निर्धारित अनुपात के दायरे में आता है। इस प्रकार मूल वैधानिक प्रावधान और न्यायिक आदेश के आलोक में अपराध को कम करने का आदेश दिया जाता है।

(11) याचिकाकर्ता को भगोडा व्यक्ति घोषित करने का निर्णय आदेश दिनांक 26.10.2021 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा पारित किया गया और सजा का निर्णय और सजा का आदेश क्रमशः दिनांक 25.07.2017

और 27.07.2017 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित किया गया जो 16.05.2015/21.05.2015 की आपराधिक शिकायत संख्या 1485 (2015 की सीआईएस संख्या एनएसीटी 2328) में गुरुग्राम को तदनुसार रदद किया गया है। याचिकाकर्ता को रुपये की लागत का भुगतान करने पर, किसी अन्य मामले में उसकी संलिप्तता, यदि कोई हो, के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा। याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम के पास 10,000/- रुपये जमा कराने होंगे।

याचिका स्वीकार की जाती है.

शुब्रीत कौर

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक व अधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अग्रेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

शालिनी वर्मा, अनुवादक, सोनीपत।